मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2018

क्रमांक एफ–1(बी)40/2017/बी–4/दो,:: राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेबल–09 (रूपये 36,200–114,800/–) में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये स्थान पर पदस्थ करता है :–

क्रमांक	लोक सेवा आयोग की चयन सूची क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4
1.	112	श्री नीरज पाण्डेय अनारक्षित	उमरिया
2.	156	श्री जयवीर सिंह यादव, अपिव	जबलपुर
3.	165	सुश्री पिंकी शेरवाल, अजा	उज्जैन
4.	205	श्री मनोज कुमार नायक अना0 दिव्यांग	हरदा
5.	227	श्री कृष्णप्रताप सिंह, अजजा	सिंगरौली
6.	241	श्री रामराज सिंह, अजजा	सीधी
7.	251	सुश्री वर्षा मेहता अनारक्षित	जबलपुर

2/– सरल क्रमांक–4 पर अंकित अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार नायक (दिव्यांग) एवं सरल क्रमांक 7– पर अंकित सुश्री वर्षा मेहता का नियुक्ति आदेश रिट पिटीशन क्रमांक 18485/2017 में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

3/– निःशक्तजन उम्मीदवारों के निःशक्तता प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला मेडिकल बोर्ड से कराने के उपरांत उप संचालक, अभियोजन/जिला अभियोजन अधिकारी जिले के कलेक्टर के माध्यम से समन्वय कर ज्वाईन कराएंगे।

4/– नियुक्त अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित समस्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

5/– नियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि से संबंधित प्रकरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, म.प्र. लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1991 तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत शासित होंगे।

6/— नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग से जारी सूची के क्रमानुसार निर्धारित होगी।

7/— नियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोडना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन तथा भत्ते जो उस समय प्राप्त कर रहे होगें, नगद जमा करना होगा, अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भाँति उनसे वसूल की जावेगी।

8/— नवनियुक्त अधिकारी पर परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2005 के प्रावधान लागू होंगे।

9/— नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य/गलत पाई जाने पर सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

10/— नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

11/— अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र तथा निःशक्तजन उम्मीदवार की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र की मूल प्रति संबंधित जिले के जिला अभियोजन अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

12/— प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग को आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमाक, सन 1994) उपबंधों को और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) अधिनियम की धारा–6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के नाम से तथा आदेशानुसार

22.3.18

(श्रीदास)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

22/03

पृ0क0एफ–1(बी) 40/2017/बी–4/दो भोपाल, दिनांक 22-मार्च, 2018

प्रतिलिपि :– **निम्नाकिंत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर, की ओर उनके पत्र कमांक 3392/51/2016/चयन, इंदौर, दिनांक 29 मई 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश।
3. महालेखाकार, मध्यपदेश ग्वालियर।
4. संबंधित कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक
5. संबंधित कोषालय अधिकारी,
6. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, गृह विभाग।
7. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, गृह।
8. निज सचिव, सचिव, गृह ।
9. संबंधित उप संचालक, अभियोजन,
10. संबंधित जिला लोक अभियोजन अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व उनके मूल नियुक्ति आदेश, शैक्षणिक योग्यता, जाति–प्रमाण एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि संबंधी मूल अभिलेख की जॉच कर ले तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस विभाग को दे।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी..

समस्त उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि वे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थापना स्थान पर आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में मूल अभिलेखों के साथ निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगीं।

22.3.18

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

22/3/18